

दिनांक 28 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3.00 बजे राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं विभागीय समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:—

1. श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री शिवरस्वरूप त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री ज्योतिर्मय त्रिपाठी, अनु सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनोद कुमार, सलाहकार नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. डा० शान्तनु सरकार, निदेशक, यू०एल०एम०एम०सी०, देहरादून।
6. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा।
7. श्री एम०के० खरे, अधीक्षण अभियन्ता, हल्द्वानी।
8. श्री संजय राज, अधीक्षण अभियन्ता देहरादून।
9. श्री ओमजी गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
10. श्री वी०के० मौर्या, अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार।
11. डा० मोहित कुमार पूनिया, प्रमुख सलाहकार, यू०एल०एम०एम०सी०, देहरादून।
12. श्री शिवा, अधिशासी अभियन्ता, यू०एल०एम०एम०सी०, देहरादून।
13. श्री अनूप कुमार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग टिहरी।
14. श्री प्रेम सिंह नेगी, सहायक, अभियन्ता, यू०एल०एम०एम०सी०, देहरादून।

प्रस्ताव संख्या—1 Flood protection work between 5.00 to 6.00 km of Bhogpur Balawali Bund near Pandhi Farm. Rs. 585.33 एवं

प्रस्ताव संख्या—2 भोगपुर बालावाली तटबन्ध के कि.मी. 11.500 एवं 14.000 के मध्य पूर्व निर्मित स्परों का विस्तारीकरण का कार्य लागत रु० 1806.69 लाख।

प्रस्ताव संख्या—01 एवं 2 का आगणन प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के पत्र संख्या—4383 दिनाक 14.07.2025के माध्य से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एंव प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

उक्त कार्यों का विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रस्तुतीरण को देखने के उपरान्त मूल्यांकन एवं विभागीय समिति द्वारा उक्त कार्यों को लम्बित रखने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग / सिंचाई विभाग / जिलाधिकारी उसिद्धार)

प्रस्ताव संख्या—3 जनपद चागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में सारयू नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹0 1248.53 लाख।

उक्त कार्य का आगणन प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—5188, दिनांक 23.08.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि सारयू नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कार्यरथल की रिथति एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न रीचों में नदी के दोनों पार्श्वों में 2220 मीटर लम्बाई में आर०आर० 1:5 स्टोन मैसोनरी की बान्डेड सुरक्षा दीवार, जिसमें आधार की चौड़ाई 2.30 मी० व टॉप की चौड़ाई 0.60 मी० एवं दीवार की ऊँचाई 4.00 मी० रखते हुए दीवार की नीव में सी०सी० 1:3:6 (0.30 मीटर मोटाई तथा सी०सी० 1:3:6 ब्लॉक स्टड (साइज 3.0 X 20 X 1.5 मी०) 149 संख्या में प्रस्तावित है।

योजना निर्माण से विकास खण्ड कपकोट के सारयू नदी के दोनों पाशों में रिथत 07 संख्या ग्रामों (चीरावगड़, खाईवगड़, कपकोट जाजर, पनौरा, पोलिंग (अनुसुचित गांव) गोलना एवं गैरखेत) की लगभग 2500 संख्या आवादी 175 आवासीय भवन, 15 अनावासीय भवन तथा 4.00 हैक्टेयर कृषि भूमि का बचाव किया जायेगा। योजना पूर्ण होने पर स्थानीय जनता को भी पलायन से रोका जा सकेगा।

विभागीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण पर विचार—विमर्श करते हुए समिति द्वारा उक्त कार्य की संस्तुति प्रदान करते हुए राज्य कार्कारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग / सिंचाई विभाग / जिलाधिकारी वागेश्वर)

प्रस्ताव संख्या—4 जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकासखण्ड के अन्तर्गत उनसाली शहर की भिलंगना नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹0 803.74 लाख।

प्रश्नगत कार्य का आगणन अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड नई टिहरी के पत्र संख्या—1770, दिनांक 28.08.225 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

सिंचाई विभाग द्वारा अवगत काया गया है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय नई टिहरी से 65.00 किमी० की दूरी पर घनसाली शहर भिलंगना नदी के किनारे पर रिथत है। घनसाली शहर विकासखण्ड मिलंगना का मुख्यालय होने के साथ ही मुख्य बाजार भी है। ग्रामीण लोग अपनी दैनिक वरस्तुओं के क्रय—विक्रय हेतु प्रतिदिन इस शहर में आते हैं। घनसाली शहर में भिलंगना एवं नैलचामी गाड़ का भी संगम है। नदी के दाये तट पर वन विभाग का गेस्ट हाउस, सिमली आवासीय क्षेत्र तथा गैस गोदाम एवं बांये तट पर आवासीय क्षेत्र तथा घनसाली बाजार रिथत है। नदी के कैचमैन्ट एरिया में अतिवृष्टि एवं बादल फटने से इस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है।

उक्त योजना में गढ़ी के दरमें किनारे पर 620 मी० तथा बांगे किनारे पर 900.00 मी० लम्बाई, कुल 1520.00 मी० की लम्बाई में बैंडेड दीवार तथा दीवार के आगे 800/800 1:3:6 के 300X1.50X1.50 X1.50 मीटर आकार के बांकों का लीचिय प्रमाण एक बांके में डालने का प्राविधान किया गया था। उक्त के दुष्टिपूत योजना को कार्यपाल की आवश्यकता के अनुसार जिजाइन किया गया है। योजना में गढ़ी के दरमें किनारे पर 480 मी० तथा बांगे किनारे पर 640 मी० लम्बाई, कुल 1020 मी० की लम्बाई में तीन खतरी में 800/800 1:3:6 बाँक डालने का प्राविधान किया गया है।

उक्त कार्य का विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गए प्रत्युत्तीकरण को देखने के उपरान्त रामिति द्वारा कार्य की रवीकृति पर संतुष्टि प्रदान करते हुए शाय कार्यकारियों रामिति की बैठक में प्रत्युत किये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाची आपदा प्रबन्धन विभाग/रिंचाई विभाग/जिलाधिकारी टिक्की यहावाल)

प्रत्याव रांख्या—5 जग्पद गैनीताल के विकाराखण्ड उल्हासी में गौलापार में स्थित झटिया गाँधी अन्तराष्ट्रीय रपोर्टरा कॉम्पलैक्स (रेटेलियम) की सुरक्षा द्वेष वाल सुरक्षात्मक कार्यों का रांशोधित प्राककलन शीर (1.113 किमी० से 1.443 किमी० तक) लागत ₹0 1474.67 लाख।

प्रश्नगत कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागात्मक, रिंचाई विभाग के पत्र रांख्या—1831 दिनांक 01.04.2025 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण नियि यद के अन्तर्गत वित्तीय एवं पूशारकीय रवीकृति प्रदान किये जाने द्वेष उपलब्ध कराया गया है।

उक्त कार्य के रामकन्ध में अवगत कराया गया है कि दिनांक 09.07.2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राजकार के रथल भ्रमण में दिये गये निर्देशों के कम में योजना का गठन कर चौनेज 0.650 किमी० से 1.443 किमी० तक जिराकी लागत 6670.28 लाख शारान को प्रेपित की गई थी। जिसे दिनांक 11.12.2024 को पुख्य रायिव योद्धादया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रत्युत किया गया। जिसमें रेटेलियम के अत्यधिक क्षतिग्रस्त भागों को फेज-1 में चौनेज 0.650 किमी० से 1.133 किमी० तक ₹0 3682.97 लाख की एरा०डी०एम०एफ०/SACI यद के अन्तर्गत रौद्रान्तिक रवीकृति मिल गयी है तथा शेष रायिवनशील भागों की सुरक्षा द्वेष फेज-2 में चौनेज 1.133 किमी० से 1.443 किमी० तक कुल 310.00 मी० में योजना का गठन इस योजना में किया जा रहा है। जिससे भविष्य में रेटेलियम की भूमि एवं रांचनाओं को आपदा से सुरक्षा मिल सकेगी। यदि समय से सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी मानसून अवधि में रेटेलियम की रांचनाओं को ओर अधिक नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी एवं योजना की लागत कई गुना बढ़ जायेगी। रेटेलियम को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 310 मीटर लम्बाई में 9 मीटर ऊँची आर०आर० 1:4 रटोन मैशोनरी की प्रतिधारक दीवार बनाने एवं दीवार के आगे 8.00 मी० चौड़ाई में 800/800 1:4 प्रमाण एवं 15 मी० c/c 800/800 रटड के निर्माण का प्राविधान किया गया है। पूर्व में भी इस योजना को घूल्यांकन एवं अनुश्रवण रमिति की बैठक में रवीकृत किया गया था तथा विभाग से प्राप्त प्रत्याव पर सम्मित विचार

करते हुए लागत को संशोधित करते हुए प्रस्तावित लागत पर सहमति व्यक्त की गयी।

उक्त कार्य का विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त समिति द्वारा कार्य की स्वीकृति पर संस्तुति प्रदान करते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग/सिंचाई विभाग/जिलाधिकारी नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या—6 जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र घुन्तु का सेरा में बांदल नदी पर बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹0 349.77 लाख।

प्रश्नगत कार्य कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या—5312 दिनांक 28.08.2025 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में दिनांक 10/08/2023 की रात्रि को भारी वर्षा व अतिवृष्टि के कारण बांदल नदी में पानी के साथ मलवा व गाद आया जिस कारण ग्राम पंचायत सरखेत के साथ घुन्तु का शेरा में घरों एंव कृषि भूमि को भारी क्षति हुई है एवं पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवार व वायरफेट भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जिसके अनुपालन में बाढ़ सुरक्षा योजना का गठन किया जा रहा है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरखेत के ग्राम घुन्तु का सेरा में बादल नदीं पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाना अवश्यक है।

उक्त प्रस्ताव में ग्राम पंचायत घुन्तु का सेरा में बांदल नदी से होने वाले कटाव से सुरक्षा हेतु नदी के दायें तट पर 450 मी० लम्बाई में तीन परतों में सी०सी० 1:3:6 के कंकीट ब्लाक 4.90 मी० ऊंचाई में रखने का प्राविधान किया गया है। योजना में 0.60 मी० फ्री बोर्ड रखा गया है।

उक्त कार्य का विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त समिति द्वारा कार्ययोजना को संशोधित करते हुए नवीनतम फोटोग्राफ्स एवं विडियो सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग/सिंचाई विभाग/जिलाधिकारी देहरादून)

प्रस्ताव संख्या—7 जनपद देहरादून के विधानसभा मसूरी में ग्राम पंचायत सेरकी में बांदल नदी के दायें त तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य लागत ₹0 489.18 लाख।

प्रश्नगत कार्य कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या—5312 दिनांक 28.08.2025 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में दिनांक 10/08/2023 की रात्रि को भारी वर्षा व अतिवृष्टि के कारण बांदल नदी में पानी के साथ मलवा व गाद आया

जिस कारण ग्राम पंचायत सेरकी में घरों एवं कृषि भूमि को भारी क्षति हुई है एवं पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवार व वायरकेट भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिसके अनुपालन में बाद सुरक्षा योजना का गठन किया जा रहा है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में ग्राम पंचायत सेरकी में बांदल नदी से होने वाले कटाव से सुरक्षा हेतु नदी के दायें तट पर 660 मी० लम्बाई में तीन परतों में सी०सी० 1:3:6 के कंक्रीट ब्लाक 4.90 मी० ऊंचाई में रखने का प्राविधान किया गया है। योजना में 0.60 मी० फी बोर्ड रखा गया है।

उक्त कार्य का विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त समिति द्वारा कार्योजना को संशोधित करते हुए नवीनतम फोटोग्राफ्स एवं विडियो सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग / सिंचाई विभाग / जिलाधिकारी देहरादून)

प्रस्ताव संख्या—४ जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में स्थित कुन्ती नाले से मण्डलसेरा क्षेत्र की जल निकासी एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य लागत रु० 877.46 लाख।

प्रश्नगत कार्य कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उक्त कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि जनपद बागेश्वर के नगर पालिका क्षेत्र में मण्डलसेरा जीत नगर जनपद मुख्यालय से सटा हुआ क्षेत्र है। नगर पालिका क्षेत्र मण्डलसेरा जीतनगर एक घनी आबादी एवं आवासीय भवनों से भरा हुआ क्षेत्र है। इसके कैचमेंट में वर्षाकाल में होने वाली वर्षा का पानी (मलुवे सहित) पूर्व में कुन्ती नाले से आकर कृषि क्षेत्र में फैल जाया करता था। वर्तमान में मण्डलसेरा जीतनगर में इनी बसावट है। इसी कारण वर्षाकाल में जब कुन्ती नाले के कैचमेंट में वर्षा होती है तो पानी एवं मलुवे का निकास न होने के कारण यह आबादी क्षेत्र में निर्मित भवनों, पैदल मार्ग, व मोटर मार्ग में एकत्रित हो जाता है। जिससे यहाँ निवास कर रहे निवासियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत योजना का गठन किया गया है। कुन्ती नाले से जल निकासी हेतु मण्डलसेरा बाँयपास सड़क मार्ग से सरयू नदी की ओर जाने वाले मार्ग में अन्डर ग्राउंड आर०सी०सी० M-25 में बॉक्स कलर्वट नाला निर्माण कार्य 900 मी० लम्बाई, 4 मी० चौड़ाई व 2 मी० ऊंचाई में व नाले की दोनों दीवारों के सामानान्तर हस्त समायोजित पथर भरान वीप होल सहित प्रावधान किया गया है। बाँयपास मार्ग से ऊपर नाले के अपरस्ट्रीम में 180 मी० लम्बाई में अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु कंक्रीट के चैक डैम, चैक डैम के अपरस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में आर०आर० 1:5 रेटन मेसोनरी के विंग वॉल का प्राविधान किया गया है।

उक्त योजना के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त विस्तार से विचार-विमर्श करते हुए योजना में प्राविधानित सड़क निर्माण को

हटाते हुए संशोधित प्रस्ताव (मात्र जल निकासी के प्राविधान) आगामी होने वाली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग / सिंचाई विभाग / जिलाधिकारी बागेश्वर)

प्रस्ताव संख्या—9 जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में दुगाड़ नाले से मण्डलसेरा क्षेत्र की जल निकासी एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत ₹0 187.73 लाख।

प्रश्नगत कार्य कार्य का आगणन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि जनपद बागेश्वर आर एक घनी आबादी वाला के विकास खण्ड बागेश्वर में नगर क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा क्षेत्र कारण आज यह क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र बन गया है। अनियोजित नगर रूप से 03 संख्या प्राकृतिक नाले बहते हैं (कुन्ती नाला, दुंगाड़ नाला व भनार गधेरा) उक्त तीनों नालों में से मात्र भनार नाला ही सरयू नदी तक जुड़ा हुआ। उक्त के दृष्टिगत दुगाड़ नाले के सुदृढीकरण व नवनिर्माण की योजना/प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्राक्कलन में अन्तर्गत 375 मीटर लम्बाई में नाले की सफाई उपरान्त आवश्यकता के अनुसार जिन स्थानों पर नालों का पैरापिट नहीं बना है आर0आर0 45 पत्थर की चिनाई में पैरापिट निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। 375 मीटर से 550 मीटर तक की कुल 475 मीटर लम्बाई में आर0सी0सी0 1:2:4 में बॉक्स टाईप कबड्ड नाले का निर्माण प्रस्तावित किया गया है एवं नाले के मुहाने पर 14 मीटर के लम्बाई में फॉल प्रस्तावित किया गया है। नाले का सैक्षण 2.00 मीटर x 1.80 मीटर लिया गया है। नाले का सैक्षण कैचमेन्ट ऐरिया के अनुसार अधिकतम रनऑफ के लिए डिजाइन किया गया है।

उक्त कार्य का विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त समिति द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति पर संस्तुति प्रदान करते हुए राज्य कार्यकारणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग / सिंचाई विभाग / जिलाधिकारी बागेश्वर)
प्रस्ताव संख्या—10 जनपद उत्तकरकाशी के विकासखण्ड पुरोला के ग्राम पंचायत पोरा में आवासीय भवनों के पीछे बिस्कुड़ी खड्ड पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।

प्रश्नगत कार्य का आगणन प्रस्ताव सिंचाई खण्ड पुरोला, के पत्र संख्या—644, दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि विगत वर्षों से बिस्कुड़ी खड्ड में बाढ़ आने से कृषि भूमि का अत्यधिक कटाव हो गया है जो लगातार बढ़ता जा रहा है लगातार हो रहे कटाव के कारण कृषि भूमि के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है तथा

काश्तकार लोग हर समय भय के माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसकी सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना का गठन किया गया। योजना में 120 मी0 लम्बाई में बिस्कुड़ी खड़क के बांये किनारे पर कृषि भूमि के कटाव को रोकने हेतु वायर क्रेट का प्राविधान किया गया है।

उक्त कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त समिति द्वारा विचार-विमर्श करते हुए उक्त कार्य को राज्य आपदा न्यूनकीरण निधि मद के मानकों से आच्छादित न पाते हुए उक्त प्रस्ताव को विभाग को वापस करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग / सिंचाई विभाग / जिलाधिकारी उत्तरकाशी)

भाग—2

प्रस्ताव संख्या—11 पी0आई0यू0—यू0एस0डी0एम0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित निम्न पैकेज हेतु निम्न बिन्दुओं पर भी विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया :—

1. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (State Emergency Operation Centre):-

उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र परियोजना का उद्देश्य, राज्य में आने वाली विभिन्न आपदाओं से पहले एवं दौरान पूर्व तैयारी एवं राहत एवं बचाव कार्य के समय विभिन्न विभागों, संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर आपदाओं के समय त्वरित कार्यवाही कर राहत कार्य किया जाना है, इस परियोजना के अन्तर्गत आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून स्थित भवन में निम्न खण्डों के अन्तर्गत स्थापना हेतु परियोजना प्रस्तवित है। 1-SITC of ICT Networking Equipments, 2. SITC of ICT Hardware Software and Workstations, 3. SITC of HCI Servers एवं 4. SITC of Audio Visual (AV) Equipments उक्त की निविदा प्रक्रिया 01 पैकेज के अन्तर्गत की जानी है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 65.64 करोड़ निर्धारित की गयी है।

2. Interior Work for State Emergency Operation Centre :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में प्रस्तावित पैकेज हेतु 1- Emergency Operation and Command Centre 2- Decision/Conference Rooms 3- Media Briefing Room esa Interior Work किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 5.00 करोड़ निर्धारित की गयी है।

3. Multi Hazard Early Warning Dissemination System (MHEWDS) :-

उत्तराखण्ड राज्य आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, अतः विभिन्न आपदाओं के समय आम जन-मानस को सचेत करने के लिए MHEWDS परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना को प्रमुख रूप से निम्न घटकों में विभाजित किया गया है— 1. आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थानों पर 250 चेतावनी देने वाले सायरन स्थापित करना। 2. Disaster Management Decision Support System (DM-DSS) का निर्माण करना। 3. District

Emergency Operation Centre (DEOC) और Taluka Emergency Operation Centre (TEOC) में IT Infrastructures का उच्चीकरण एवं स्थापना करना। उक्त की अनुमानित लागत रु. 123.17 करोड़ निर्धारित की गयी है।

4. **Hydromet** :- तत्कालीन स्वरूप में बदलते जल—वायु परिवर्तन को संज्ञान में रखते हुए मौसम पूर्वानुमान की जानकारी अत्यन्त संवेदनशील एवं आपदा से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः राज्य में मौसम सम्बन्धि जानकारी को सटीक और सुदृढ़ बनाने के महत्वपूर्ण है। अतः Hydromet परियोजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के मौसम सम्बन्धि उपकरणों के नेटवर्क को सघन करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 200 Telemetric Weather Stations (TWS) स्थापित किये जाने प्रस्तावित है। उक्त पैकेज के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों एवं सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:—

Equipment
1 Telemetric Weather stations (TWS) including 2 years warranty & 3 years Comprehensive Annual maintenance (CMC)
Forecasting Models
2 Supply and installation of Forecasting , nowcasting , Visualisation Dashboard API integration and other customisation softwares
Man Power
3 Meteorological expert and Database Specialist /Web Management Specialist / Programmer

उक्त की अनुमानित लागत रु. 94.73 करोड़ निर्धारित की गयी है।

5. **Multi Purpose Disaster Relief Shelters** :- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न आपदाएँ समय—समय पर आती रहती हैं, जिससे आम जन—मानस एवं राज्य में आने वाले पर्यटकों को एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए 10 Multi Purpose Disaster Relief Shelters की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पैकेज का कार्य दो भागों में किया जाना है। प्रथम भाग Consultancy Firm का चयन किया जाना जिसमें Design/DPR Support, Operational Assistance, Policy making support तथा Implementation Support आदि कार्य हेतु Consultancy Firm का चयन किया जाना है, Consultancy Firm हेतु अनुमानित लागत रु. 1.88 करोड़ निर्धारित की गयी है। द्वितीय भाग में आश्रयों का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें कार्यदायी संस्था पी0आई0यू0—आर0डब्ल्यू0डी0 को नामित किया गया है। उक्त की अनुमानित लागत रु. 43 करोड़ निर्धारित की गयी है।

6. **Disaster Risk Database (DRDB)**:- DRDB जोखिमों की पहचान विश्लेषण

आपदा का न्यूनीकरण, प्रबन्धन एवं आपदा से हुयी क्षति का त्वरित आंकलन करने में उपयोगी है। अतः उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) के अन्तर्गत पूर्व में

7. सम्बन्धित अध्ययन सामग्री संचित की जायेगी जिससे विभाग, राज्य एवं आम जन-मानस आपदा के विषय में बौद्धिक क्षमता का विकास एवं प्रचार प्रसार कर सके।

उक्त पैकेज की अनुमानित लागत रु. 1.60 करोड़ निर्धारित की गयी है।

समिति द्वारा भाग—2 के उपरोक्त उक्त पैकेजों (बिन्दु संख्या—1 से 7) पर संस्तुति प्रदान करते हुए विभागीय अधिकार प्राप्त समिति (HPC) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्त पोषित कार्ययोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त अनुबन्धित फर्म (कार्य करने वाला वैंडर) के साथ कम से कम 03 वर्ष का दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) का अनुबन्ध भी अनिवार्य रूप से किया जाय। जिसे हेतु अतिरिक्त रूप से वित्तीय व्ययभार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।
 (विनोद कुमार सुमन)
 सचिव।

Digitally signed by
 Vinod Kumar Suman
 Date: 02-09-2025,
 10:31:11

उत्तराखण्ड शासन
 आपदा प्रबन्धन अनुभाग—1
 संख्या—844/XVIII-B-1/2025-15(04)/2022
 देहरादून, दिनांक ०२ अगस्त, 2025
 स्तम्भार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल देहरादून एवं उत्तकरकाशी।
6. अपर मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, यू0एस0डी0एम0ए0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, यू0एल0एम0एम0सी0, देहरादून।

8. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, रिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आशा रो,

**Digitally signed by
Jyotirmay Tripathi
Date: 02-09-2025
11:29:56**

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
अनु रायिव।